प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1216-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-2-14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर प्र0क्र0 730/अ-6/12-13 ।

भूरे वल्द बृजलाल अहिरवार
निवासी ग्राम गभीरिया तहसील व
जिला सागर अन्य-7 --- आवेदगण।

विरूद्ध

अमित वल्द हरिओम केशरवानी
निवासी सदरबाजार सागर अन्य-5 --- अनावेदगण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1216/III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

20.5.13 यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर के प्रकरण कमांक 730 अ 76/12–13 (पुर्नविलोकन) में पारित आदेश दिनांक 10–2–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अनुविभगीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10–2–14 का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सागर को यह मानना था कि पुनरीक्षणकर्ता को राजस्व प्रकरण कमांक 145 अ 6/11–12 में आदेश दिनांक 20–6–13 की सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन देने एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पुनरावलोकन आवेदन समय–सीमा में दिया गया है, किन्तु उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन समयावधि वाहर प्रस्तुत होना मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10–2–14 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 145 अ 6/11–12 में पक्षकारों के तर्क श्रवण उपरांत आदेश दिनांक 20–6–13 पारित किया है स्पष्ट है कि आदेश

की जानकारी आवेदक के अभिभाषक को यथा समय रही है।

म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

विचाराधीन आदेश दिनांक 20.6.13 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन 13–9–13 को प्रस्तुत हुआ है जो आदेश दिनांक से 83 दिवस विलम्ब से है। म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित सँशोधन कमांक 42 सन् 2011 की धारा 11 व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (तीन) में किये गये सँशोधन अनुसार शब्द नब्बे दिन तथा पूर्ण विराम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तद्नुसार पुर्नविलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस आदेश के पारित किये जाने के साठ दिन के भीतर न किया गया हो।

5/ उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा आदेश दिनांक 10–2–14 से लिया गया निर्णय उचित होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर